दिनांक 12.01.2026 को पूर्वाह्न 09.30 बजे सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

विभागीय समीक्षात्मक बैठक में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

1. बिहार खनिज नियमावली संशोधन एवं DMF नियमावली संशोधन से संबंधित मामले को मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में शामिल करने का निदेश दिया गया।

   अनु0– श्री सचिन प्रकाश, ख0वि0 पदा0 (मु0),

2. NHAI को गया जिला में क्रशर स्थापना की अनुमति से संबंधित मामले को मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में शामिल करने का निदेश दिया गया।

   अनु0– श्री विकास कु0 पासवान, सहा0 निदेशक (मु0)

3. Inter State Transit Pass (ISTP) का दर निर्धारण से संबंधित संलेख में आवश्यक संशोधन करते हुए विभागीय मंत्री के अनुमोदन हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

   अनु0– श्री आनंद प्रकाश, सहायक निदेशक (मु0)

4. नया System Integrator के लिए RFP को अंतिम रूप देने हेतु तीन सदस्यीय विभागीय तकनीकी समिति बनाने का निदेश दिया गया तथा समिति को इससे संबंधित प्रस्तुतीकरण तैयार कर दिनांक 19.01.2026 को प्रस्तुतीकरण देने का निदेश दिया गया।

   अनु0– तकनीकी कोषांग, NISG

5. बेल्ट्रॉन के द्वारा Khanansoft Portal, VLTS Portal एवं खनन से संबंधित अन्य एप्लीकेशन/Outlay का टेक्निकल ऑडिट का अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

   अनु0– उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

6. IMMIS (Integrated Mining Management Information System) से संबंधित मामलों E-proc portal एवं Parivesh पोर्टल का API Based access हेतु संबंधित विभाग/मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर निष्पादन करने का निदेश निदेशक, खान को दिया गया।

   अनु0– निदेशक, खान

7. Khanansoft Portal एवं VLTS Portal का सभी मूल दस्तावेज यथा Functional Requirement Specification (FRS) एवं Software Requirement Specification (SRS) सहित अन्य सभी दस्तावेज NIC से प्राप्त करने का निदेश IT मैनेजर को दिया गया।

   अनु0– आई0टी0 मैनेजर

8. राज्यान्तर्गत ऐसे 50 बालूघाटों की सूची तैयार करने का निदेश खनिज विकास पदाधिकारी (मु0) एवं सहायक निदेशक (मु0) को दिया गया जो विभिन्न कारणों से नीलामित नहीं हो पा रहें हैं, परन्तु Potentially Feasible हैं।

अनु0–सहायक निदेशक (मु0)/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0)

9. जल संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में प्राप्त/निष्कासित खनिजों का उपयोग नियमानुसार करने हेतु जल संसाधन विभाग से पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

अनु0– श्री आनंद प्रकाश, सहायक निदेशक (मु0)

10. बालूघाट के न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि के पुनर्निधारण से संबंधित जिलों से प्राप्त अनुशंसा की समीक्षा कर मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में शामिल करने का निदेश दिया गया।

अनु0–श्री सचिन प्रकाश, खनिज विकास पदाधिकारी

11. बालू घाट से कितने राजस्व की प्राप्ति होनी है तथा अन्य मद में प्रतिदिन कितने राजस्व की वसूली की जानी है। इस संबंध में एक डाटा चार्ट बनाने तथा राजस्व को सेड्यूलिंग करने का निदेश श्री सचिन प्रकाश, खनिज विकास पदाधिकारी को दिया गया। डाटा सीट के आधार पर एक सप्ताह का एनालायसिस कर इससे संबंधित प्रतिवेदन अगली बैठक में समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अनु0–श्री सचिन प्रकाश, खनिज विकास पदाधिकारी

12. सरेंडर किये गये बालूघाटों का सघन जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनु0–श्री शंभु प्रसाद शाहू, खनिज विकास पदाधिकारी (मु0)

13. NISG के सहयोग से ड्रोन वेज मॉनिटरिंग सिस्टम का आर0एफ0पी0 तैयार करने के संबंध में जानकारी प्राप्त कर इससे संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 19.01.2026 तक प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

अनु0–श्री आनंद प्रकाश, सहायक निदेशक (मु0)

14. एस0बी0आई0 कैप के बकाया भुगतान से संबंधित संचिका दिनांक 15.01.2026 तक उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

अनु0–श्री विकास पासवान, सहायक निदेशक (मु0)

15. SEIAA द्वारा Envt. Clearance के लंबित मामलों के संबंध में विभागीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कराने का प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

अनु0– श्री सचिन प्रकाश, खनिज विकास पदा0 (मु0)

16. झारखंड राज्य से संबंधित समन्वय के मामलों को निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

अनु0– श्री विकास कु0 पासवान, सहायक निदेशक (मु0)

17. दिनांक 14.01.2026 को अपराह्न 12.00 बजे पत्थर बंदोबस्ती से संबंधित प्रस्तुतीकरण करने का निदेश दिया गया।

अनु0–श्री विकास कु0 पासवान, सहायक निदेशक (मु0)

18. परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर ANPR तथा अन्य आवश्यक तकनीक अधिष्ठापित किये जाने हेतु निदेश दिया गया।

अनु0– निदेशक, खान

19. इंप्रेस्ट से संबंधित रजिस्टर अद्यतन करते हुए प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

अनु0– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

20. E- Office के संबंध में Time Frame बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

अनु0– अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

21. Swakchata Portal से संबंधित सभी कार्य करने का निदेश श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी को दिया गया।

अनु0– श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी

22. HRMS से संबंधित Excel Sheet बनाने तथा प्रत्येक सप्ताह का रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। विभाग तथा जिला कार्यालय से संबंधित हर सेवा संवर्ग की कम–से–कम एक आवेदन की प्रविष्टि HRMS में करने का निदेश दिया गया।

अनु0– अपर सचिव/संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग/आई0टी0 मैनेजर

23. E-PAR से संबंधित सभी लंबित मामलों का निष्पादन दिनांक 26.01.2026 तक करने का निदेश दिया गया।

अनु0– अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग/आई0टी0 मैनेजर

24. अन्वेशन निदेशालय के लिए विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए भारत सरकार के कार्यालय में बात करने का निदेश अपर सचिव को दिया गया। निदेशालय में प्रतिनियुक्ति हेतु इंटरेस्टेट पदाधिकारियों की सूची अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

अनु0– अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

25. DMF से खनन कार्य करने वाले लोगों का आई0डी0 कार्ड बनाने, जिले के नजदीक संचालित स्कूल/अस्पताल को एक साल के लिए गोद लेने की समीक्षा कर इससे संबंधित एक प्रस्तुतीकरण दिनांक 19.01.2026 को देने का निदेश दिया गया।

अनु0– श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी

26. GAD में किए गए कार्यों (best practices) के समान practices विभाग में लिये जाने के लिए Timeline सहित अगली बैठक में प्रस्तुतीकरण का निर्देश दिया गया।

अनु0– श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी

27. निलंबन के मामले, सेवानिवृत्ति के मामलों आदि की सूची तैयार करने का निदेश दिया गया।

अनु0– अपर सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी

28. प्रोन्नति/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 से संबंधित मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनु0– अपर सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी

29. अन्वेषण निदेशालय के गठन हेतु भूवैज्ञानिक से संबंधित पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए रोस्टर बनाने, अधियाचना भेजने एवं विज्ञापन प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

अनु0– अपर सचिव/संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

30. अनुश्रवण कोषांग के समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रत्येक शनिवार तक का अद्यतन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार करेंगे।

अनु0– श्री शंभु प्रसाद शाहू, खनिज विकास पदा0

31. अनुश्रवण कोषांग के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी प्रतिदिन सुबह में प्रतिनियुक्त खान निरीक्षक एवं अन्य कर्मी को Briefing करेंगे, जिसमें खान निरीक्षकों को प्रतिदिन का टास्क देना सुनिश्चित करेंगे एवं संध्या में सभी को Debriefing करना भी सुनिश्चित करेंगे।

अनु0– श्री शंभु प्रसाद शाहू, खनिज विकास पदा0

32. अनुश्रवण कोषांग को निदेशित किया गया कि कार्य आवंटन के आधार पर विभिन्न पदाधिकारियों से Finding के आधार पर अंतिम निर्णय तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।

अनु0– श्री शंभु प्रसाद शाहू, खनिज विकास पदा0

33. अनुश्रवण कोषांग द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को प्रतिदिन दिये जाने वाले निदेश/सूचनाओं का टेम्पलेट बनाना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0– श्री शंभु प्रसाद शाहू, खनिज विकास पदा0

34. अनुश्रवण कोषांग में प्राप्त सभी शिकायतों का अविलंब निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0– श्री शंभु प्रसाद शाहू, खनिज विकास पदा0

35. M-Junction एवं बालू मित्र से संबंधित कार्यो की समीक्षा कर इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

अनु0– महाप्रबंधक, बी0एस0एम0सी0एल0

36. मॉनिटरिंग सेल को बालूघाटों को Online Return अद्यतन करने से संबंधित कार्य को पूरी तत्परता के साथ करने का निदेश दिया गया।

अनु0– श्री शंभु प्रसाद शाहू, खनिज विकास पदा0

37. बिहारी योद्धा को मुख्यालय एवं जिला स्तर पर effective बनाने का निदेश दिया गया।

अनु0– श्री शंभु प्रसाद शाहू/श्री सचिन प्रकाश, खनिज विकास पदा0

38. बिहारी योद्धा में अबतक चयनित सभी को माननीय मंत्री महोदय के द्वारा पुरस्कार की राशि अविलंब एक सप्ताह के अंदर दिलाना सुनिश्चित करेंगे। बिहारी योद्धा के चयन की प्रक्रिया सतत् जारी रखेंगे।

अनु0– श्री शंभु प्रसाद शाहू, खनिज विकास पदा0

39. समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि विभाग के लिए एक वन अधिकारी (संविदा) पर रखा जाना है। इसके लिए विज्ञापन निकालने हेतु महाप्रबंधक, बी0एस0एम0सी0एल0 को निदेशित किया गया।

अनु0– महाप्रबंधक, बी0एस0एम0सी0एल0

40. AEBAS के तहत् मुख्यालय, निगम तथा जिला खनन कार्यालय में पूर्ण रूप से Biometric System लागू करने तथा प्रत्येक सप्ताह इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

अनु0– अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

41. जिला खनन कार्यालय में तीन वर्ष, पॉच वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थापित डाटा इंट्री ऑपरेटरों की सूची तैयार करने तथा लंबे अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटरों का स्थानान्तरण तत्काल करने एवं मार्च, 2026 के बाद मापदंड निर्धारित करते हुए स्थानांतरण करने का निदेश दिया गया।

अनु0– अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

42. आउट सोर्स एजेंसी का पेमेंट शीट निकालने का निदेश अपर सचिव एवं महाप्रबंधक, बिहार खनिज विकास निगम को दिया गया।

अनु0– अपर सचिव / महाप्रबंधक, बी0एस0एम0सी0एल0

43. कोयला के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 की कार्य योजना यथाशीघ्र बनाकर उसपर कार्य करने का निदेश महाप्रबंधक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि0 को दिया गया।

अनु0– महाप्रबंधक, बी0एस0एम0सी0एल0

44. निकटवर्ती राज्यों में सी0आई0एल0 से कोयला उठाव एवं वितरण से संबंधित किस तरह के कार्य प्रणाली को व्यवहार में लाया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त कर इसे सरलीकरण करने का निदेश महाप्रबंधक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि0 को दिया गया।

अनु0– महाप्रबंधक, बी0एस0एम0सी0एल0

45. निगम / मुख्यालय में आउटसोर्स से संबंधित मामलों में वेतन के भूगतान के उपरान्त संबंधित कर्मियों के खातों में अंतरण का साक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

अनु0– अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

46. ई0पी0एफ0 से संबंधित मामलों में लेबर कोड के अनुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनु0– अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

47. मुख्यालय एवं निगम में स्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों का आयकर से संबंधित return update एवं ऐसे कर्मी जिनका आयकर शुन्य हो, इनका भी data entry return में सुनिश्चित करने का निदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार को दिया गया।

अनु0– आंतरिक वित्तीय सलाहकार, खान एवं भूतत्व विभाग

48. बिजली का बिल, भवन निर्माण से संबंधित कार्य, बकाया वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि मदों को तीसरे पूरक में अंकित करने का निदेश दिया गया।

अनु0– संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

49. सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी अपने कार्यों से संबंधित प्रस्तुतीकरण देंगे।

अनु0– सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी

50. Scanned लेटर से संबंधित प्रस्तुतीकरण अगली बैठक में दिये जाने का निदेश दिया गया।

अनु0–सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
सचिव

सं0स0–विविध (बैठक)–07/2024 451 /एम0, पटना, दिनांक–16/01/26

प्रतिलिपि– सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/महाप्रबंधक, बी0एस0एम0सी0एल0/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/सभी सहायक निदेशक (मु0)/सभी खनिज विकास पदाधिकारी (मु0)/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/1/26
सरकार के अवर सचिव